न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी– नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 78/2018

छुटटन पुत्र भौरया जाति मीना निवासी ग्राम वीरगांव तहसील महवा, उप तहसील मण्डावर जिला दौसा

...अपी0

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार मण्डावर तहसील महवा, जिला दौसा ...रेस्पो0

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 11.01.2016
व न्यायालय उप तहसीलदार मण्डावर

उपस्थित : 1.श्री रामावतार गुर्जर, अधिवक्ता अपीलांट
2.श्री चंद्र शेखर शर्मा राजकीय अधिवक्ता, पैरोकार सरकार

निर्णय   दिनांक 27.06.18

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि उप तहसीलदार मण्डावर तहसील महवा ने दिनाक 11.01.2016 को ग्राम वीरगांव के आ0ख0न0 674/702 रकबा 0.03 है0 किस्म जमीन चरागाह पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली एवं पेनल्टी का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई । बहस उभय पक्ष सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील है कि पटवारी हल्का द्वारा निहायत झूंठी रिपोर्ट की है। अपीलांट को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एवं बिना मौके की जॉच किये बिना इकतरफा में निर्णय पारित किया है। अपीलांट द्वारा किसी भी चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया बल्कि अपीलांट की स्वयं की चारागाह भूमि से लगती हुई खातेदारी भूमि है। गांव में आबादी भूमि कम होने के कारण भूमि हीन लोगो को बसाने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव लिया है। इस संबंध में तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी महवा द्वारा भी रिपोर्ट की गई है। उक्त भूमि सेटापार्ट के आदेश हो चूके है। पटवारी हल्का द्वारा बिना सीमाज्ञान कराये ही रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करदी गई। कानूनन अपीलांट को नोटिस जारी दिया जाकर सुनवाई का अवसर दिया जाकर आदेश पारित करना चाहिए किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि प्रकिया का पालना नहीं करते हुए इकतरफा पक्षपातपूर्ण आदेश पारित कर दिया गया। जो नियमों के प्रतिकूल होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों कि विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में स्पष्ट रुप से चरागाह भूमि पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करना अंकित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। ग्राम पंचायत में आबादी बाबत कार्यवाही चलने से ही भूमि आबादी नहीं मानी जा सकती। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड आज भी भूमि चरागाह दर्ज है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का की झूंठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपी0 को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया नोटिस बाद तामिल संलग्न पत्रावली है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन उचित नही है कि उनको सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नही दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में " पक्का निर्माण " अंकित कर अतिक्रमण करना बताया है। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा चरागाह भूमि पर पहले से ही अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमित भूमि की कार्यवाही आबादी हेतु कार्यवाही चलने मात्र से ही आबादी नहीं होती। जब तक भूमि का नियमानुसार सैट–अपार्ट होकर अमल दरामद नहीं हो जाता तब तक भूमि आबादी की नहीं मानी जा सकती। अपीलांट द्वारा अपने कथनो की पुष्टि में प्रश्नगत भूमि के संबंध में ऐसे कोई दस्तावेजी सबूत पेश नही किए जिससे उनके कथन की पुष्टि नही होती है। वर्तमान में भूमि चरागाह अंकित है। अतः पटवारी हल्का की रिपोर्ट में कोई संदेह नही हैं। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजकीय चरागाह भूमि पर बिना किसी अधिकार के अतिक्रमण कर रखा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतिक्रमी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 27 जून, 2018 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official